

कार्यालय :: प्रधानाचार्य, बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चन्दौली।  
(सम्बद्ध पं० कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय, चन्दौली)  
E-mail : medicalcollagechandauli@gmail.com, cmschandauli@gmail.com  
Website : http://www.bkasmcchandauli.org

पत्रांक - BKASMC/सं०चि०शि०/विज्ञप्ति/2024-25/१५०

दिनांक 02.07.2024

सम्पादक/स्थानीय प्रतिनिधि  
दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/दैनिक जागरण

आपसे अनुरोध है कि दिनांक 03.07.2024 को प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में शासकीय दर पर निम्न विज्ञापन प्रकाशित करते हुये बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें।


**कार्यालय प्रधानाचार्य - बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय चन्दौली**

संविदा चिकित्सा शिक्षक हेतु विज्ञप्ति

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के निर्देशानुसार बाबा कीनाराम स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय चन्दौली के विभिन्न अनुभागों में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों हेतु संविदा पर दिनांक 03.07.2024 से साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

विस्तृत सूचना एवं रिक्त पदों का विवरण बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय चन्दौली की वेबसाइट [www.bkasmcchandauli.org](http://www.bkasmcchandauli.org) एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के वेबसाइट [www.dgme.up.gov.in](http://www.dgme.up.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रधानाचार्य  
बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा  
महाविद्यालय चन्दौली

  
प्रधानाचार्य  
बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा  
महाविद्यालय चन्दौली

कार्यालय :: प्रधानाचार्य, बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चन्दौली।  
 (सम्बद्ध पं० कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय, चन्दौली)  
 E-mail : medicalcollagechandauli@gmail.com, cmschandauli@gmail.com  
 Website : http://www.bkasmcchandauli.org

पत्रांक - BKASMC/सं०चि०शि०/विज्ञप्ति/2024-25/251

दिनांक 02.07.2024  
 2-7-2024

-: संविदा चिकित्सा शिक्षक पदों हेतु विज्ञप्ति :-

बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चन्दौली में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति।

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ के निर्देशानुसार एन०एम०सी०/एम०सी०आई० मानकों के पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में आचार्य, सह-आचार्य, एवं सहायक आचार्य के सृजित पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन, चयन समिति के द्वारा वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती कि वह साक्षात्कार हेतु दिनांक 03.07.2024 से किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय प्रधानाचार्य बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चन्दौली में पूर्वाह्न 12.00 बजे अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध-पत्रों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियों का एक सेट बायो-डाटा एवं अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित संलग्न प्रारूप के साथ उपस्थित हों। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियाँ एवं नियुक्ति की शर्तें महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के वेबसाइट <http://dgme.up.gov.in> एवं बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चन्दौली के वेबसाइट [www.bkasmcchandauli.org](http://www.bkasmcchandauli.org) पर उपलब्ध है।

### रिक्त पदों का विवरण

कं.सं.	विशिष्टता	आचार्य		सह आचार्य		सहायक आचार्य	
		पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी
1	आर्थोपेडिक	--	--	01	SC	--	--
2	आथलमोलॉजी	01	EWS	01	SC	--	--
3	आब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गायनकोलॉजी	--	--	--	--	--	--
4	एनाटमी	01	OBC	01	UR	--	--
5	एनेस्थीसियोलॉजी	01	UR	01	SC	--	--
				01	UR	01	OBC
6	आटो-राइनों-लैरिंगोलॉजी	01	SC	01	OBC	--	--
				01	UR	--	--
7	कम्यूनिटी मेडिसिन	01	UR	01	SC	--	--
				01	UR	--	--
8	जनरल मेडिसिन	01	SC	01	UR	01	OBC
				01	OBC		
				01	UR		
9	जनरल सर्जरी	--	--	01	UR	--	--
				01	OBC		
10	डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	--	--	01	SC	01	UR
				01	SC	--	--
11	पिडियाट्रिक्स	01	OBC	--	--	--	--
12	पैथोलॉजी	--	--	02	UR	01	OBC
						01	EWS
13	फार्माकोलॉजी	01	SC	--	--	01	SC


						--	--
14	फिजियोलॉजी	01	OBC	--	--	01	EWS
						01	SC
15	फोरेन्सिक मेडिसिन	01	UR	01	OBC	--	--
16	बायोकेमिस्ट्री	--	--	01	OBC	--	--
17	माइक्रोबायलाजी	01	OBC	--	--	01	OBC
						--	--
18	रेडियो-डायग्नोसिस	01	UR	01	OBC	01	SC
19	सइकियाट्री	--	--	--	--	--	--
योग :-		12		20		11	

नोट - एनएमसी मानकों एवं LOP को दृष्टिगत रखते हुए आदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी से रिक्त पद को भरने पर विचार किया जायेगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं-

1. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रु 1,35,000/, सह-आचार्यों का नियत वेतन रु 1,20,000/ तथा सहायक आचार्यों का नियत वेतन रु 90,000/ माह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को NMC/Medical Council of India Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998. द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. शासनादेश सं०-2282/71-1-2013-जी०-11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
3. शासनादेश सं०-562/71-1-2020-जी०-63/2008 दिनांक 10.06.2021 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह-आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
4. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव Autonomous State Medical College, Uttar Pradesh Principal and Teacher's (Recruitment & other Conditions of Services) Model Rules 2020 में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
5. ओपीडी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
6. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बंध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने/दिखाने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
8. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवायें के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियम वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात चयनित अभ्यर्थी अगर निर्धारित श्रेणी में ही नियुक्त है एवं नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बंधित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्ति ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।

13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई कोई बोनस देय नहीं होंगे।
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे।
15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है। संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुबन्ध होगी।
16. अग्रर्थियों के साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है। यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
17. उ०प्र० शासन कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी०सी०-2 दिनांक 18.02.2019 के अन्तर्गत ई०डब्लू० एस० (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु की वार्षिक आय रु० 08 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बंध में विस्तृत नेट पर देखा जा सकता है।
18. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
19. उक्त साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।




प्रधानाचार्य

बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा  
महाविद्यालय, चन्दौली  
तददिनांक

पत्रांक:- BKASMC/सं०चि०शि०/विज्ञप्ति/2024-25/

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6ठॉ तल, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।



प्रधानाचार्य

बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा  
महाविद्यालय चन्दौली